

# Department of Industries & Commerce, Haryana

Form-III

"Certificate of Registration to be issued under Section 9(1) of the Haryana Registration and Regulation of Societies Act, 2012"

(See rule 5 and rule 6)

## Certificate of Registration of Society

I hereby certify that a Society bearing the Registration Number and name as undermentioned has been registered this [03] day [Apr] month [2024] year under the Haryana Registration and Regulation of Societies Act, 2012 (Haryana Act No. 1 of 2012).

State Code		District Code			Year Of Registration				Registration Number				
H	R	0	0	9	2	0	2	4	0	0	6	8	1
Name Of the Society					Registered Office Address								
ALUMNI ASSOCIATION C.R.KISAN COLLEGE,JIND					C.R.KISAN COLLEGE,JIND								

Issued under my hand at [Jind] this [03] day of (month)[Apr] (Year)[2024] having Unique Identification Number - 2000161284



Issuing Authority,  
District Registrar, Jind, Haryana.

### SOME IMPORTANT PROVISIONS OF THE HRRS ACT 2012 TO BE FOLLOWED :

- One Flat one vote.
- Collegium Scheme to be approved from District Registrar if members strength is more than 1000.
- Administrator if appointed will not enroll new members, incur capital expenditure and give employment in the society.
- Terms of Governing Body not to be more than 3 years.
- Member to be not less than 21 year age.
- Office bearers of society (Three to twenty one).
- General Body and other meeting should be conducted with quorum i.e 1st meeting - 40%, 2nd meeting - 25% and 3rd meeting - 15% (see entire Provisions)
- Submission of mandatory Annual Returns i.e. list of members, list of members of collegium, list of office bearers, Annual Report on working, Balance Sheet & Auditors Report, Copy of special resolution otherwise shall attract penalties & fines as per provisions of Act.
- In case of Joint Apartment owners, 1st owner will be eligible to contest the elections.
- Proxy voting not allowed.
- Condominium/ Association covered under Apartment Ownership Act 1983 is to be formed by owners only.
- Election observer may be appointed by District Registrar or on request of Society

## जापन पत्र

1. समिति का नाम: ALUMNI ASSOCIATION C.R.KISAN COLLEGE,JIND
2. समिति का मुख्य कार्यालय: C.R.KISAN COLLEGE,JIND
3. समिति का कार्यक्षेत्र: समस्त हरियाणा राज्य
4. लक्ष्य व उद्देश्य:
  1. ALUMNI ASSOCIATION C.R.KISAN COLLEGE,JIND का संचालन करना ।
  2. C.R. KISAN COLLEGE JIND के अंतर्गत कार्य करना ।
  3. C.R. KISAN COLLEGE JIND के ALUMNI के लिए कार्य करना।
  4. खेलों के विकास के लिए संसाधनों का संरक्षण करना ।
  5. वैदिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शिक्षण संस्थान इत्यादि खोलना व संचालन करना।
  6. जन कल्याण हेतु विकास कार्य करना ।
  7. हिंदी भाषा (देवनागरी लिपि )का विकास व विस्तार ।
  8. समाज में फैली बुराइयों जैसे :-कन्या भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा, बाल विवाह, एड्स, नैतिक पतन, पाखंड, अश्लीलता, भ्रष्टाचार, बाल श्रम , शराब बंदी आदि बुराइयों की रोकथाम करना ।
  9. गरीब एवं होनहार खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति प्रदान करना ।
  10. आध्यात्मिक विकास, जाग्रति कैम्प व सेमीनार का आयोजन करना, जिसमें पीने के पानी की शुद्धता,स्वास्थ्य, परिवार कल्याण,छोटा परिवार परिवार की सलाह देकर समाज को स्वच्छ बनाना ।
  11. समिति द्वारा स्थापित शिक्षण संस्थाओं को संचालित करने के लिए उपयुक्त स्थान, भूमि खरीदना, पट्टे पर लेने, किराये पर लेना या अन्य साधन या किसी बैंक, वित्तीय संस्था से ऋण प्राप्त करना ।
  12. अनउपजाऊ भूमि वन भूमि में पेड़-पौधे लगाकर वातावरण से प्रदूषण कम करना ।
  13. वन्य पशु-पक्षियों व जीव-जंतुओं, आंवारा गायों की रक्षा करना,गौशालाओं का निर्माण करना एवं गौसवर्धन केंद्र खोलने तथा उनके रहने का उचित प्रबंध करना ।
  14. भारत में जाति, धर्म, क्षेत्र, रंग भेद, अमीर गरीब तथा भाषा के आधार पर भेदभाव को समाप्त करने के लिए गांव- गांव में वैदिक उपसमिति के गठन करना ।
  15. सड़क पर दुर्घटना में घायल गौ वंश को नजदीक हस्पताल में पहुंचाने के लिए आपातकालीन वाहन एम्बुलेंस का प्रबंध करना ।
  16. संगठन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सरकारी-गैरसरकारी संस्थानों से डोनेशन,फंड,लोन प्राप्त करना ।

President

General Secretary


Cashier



शर्त :-

- क) समिति की सम्पति तथा आय समिति के हित के लिए व्यय की जायगी | इसमें से किसे भी सदस्य या संरक्षक को लाभ या सम्पति का कोई भी भाग बोनस या लाभांश के रूप में नहीं दिया जायगा |
- ख) समिति के सभी सदस्य अवैतनिक होंगे | कार्यकारिणी का कोई भी सदस्य या संरक्षक समिति के लिए जो अपनी जेब से व्यय करेगा तो यह समिति की आय से उसे दे दी जायगी |
- ग) यदि समिति को कोई लाभ या आमदनी होगी उसको समिति के हित में निवेश किया जायगा तथा अन्य सामाजिक कार्यों के लिए उपयोग में लाया जा सकता है |
- घ) किसी कारणवश समिति के बंद होने स्थिति में देनदारी अथवा लेनदारी का कोई भी सदस्य व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार नहीं होगा अपितु ऐसी स्थिति में समिति के सदस्यों के 2/3 बहु-मत के निर्णय अनुसार समान विचार धारा वाली समिति को सौंप दी जाएगी |



  
President

  
General Secretary

  
Cashier

निम्नलिखित व्यक्ति जिनके नाम व पते नीचे लिखे हैं, कार्यकारिणी का निर्माण उपरोक्त जापन पात्र के अनुसार करने के इच्छुक हैं तथा जापन पत्र निम्नांकित साक्षी की उपस्थिति में हस्ताक्षर किये हैं।

क्रम सं.	नाम (सर्व श्री)	पिता/पति का नाम (सर्व श्री)	पता	पद	आयु	हस्ताक्षर
1	RAJESH KUMAR	RAJPAL	4493, DEFENCE COLONY, JIND	PRESIDENT	47	
2	SURENDER	RAMKESH	KHUNGA, JIND	VICE PRESIDENT	43	
3	RAJPAL SINGH	ABHEY SINGH	412, NEAR WATER SUPPLY PUMP, SANGATPURA, JIND	GEN. SEC	48	
4	SANJAY KHARB	RAM KUMAR	HOUSE NUMBER 3167, URBAN ESTATE, JIND	TREASURER	47	
5	KULBIR SINGH	INDER DEV	1574, URBAN ESTATE, NEAR LIC BUILDING, JIND	EXE MEMBER	59	
6	RAM MEHAR SINGH	CHHAJU RAM	4251/21, DEFENCE COLONY, JIND	EXE MEMBER	59	
7	AKSHAY	JOGINDER	913, SAMARHERI ROAD, GUPTA COLONY, JIND	EXE MEMBER	24	

We the several persons whose names and details given in above table certified to be true copy of memorandum of association

में उपरोक्त को जाति तौर पर जाति हैं इन्होंने मेरे सामने हस्ताक्षर किये हैं।

Dr. Rajiv Smolhu  
Smolhu  
W.

W. अनिल कुमार



President

General Secretary

CASHIER  
NOTARY DISTT JIND  
24/1/2024